प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

सेवा में,

प्रबन्धक,
बी.पी. पब्लिक स्कूल तहसील रोड़
मंझनपुर कौशाम्बी

पत्रांकः/ मान्यता /20958-63 /2019-20 दिनांक- 09-07-2020

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय महोदया,

आपके तारीख 31-08-2013 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, बी.पी. पब्लिक स्कूल तहसील रोड़ मंझनपुर-कौशाम्बी को तारीख 01 जुलाई 2013 से तारीख 30 जून 2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा – 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए मान्यता प्रदान की गयी है एवं इसका नवीनीकरण तारीख 01 जुलाई 2019 से तारीख 30 जून 2025 तक अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा -08 के पश्चात् मान्यता/ संबंध करने के लिए बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा – 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के काण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः-

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहर्ताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विधमान अध्यापक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्न अनुसार हैः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल .... (किराए पर) ....

कुल निर्मित क्षेत्र .... (--) ....

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल ....(---) ....

कक्षाओं की संख्या .... (09)...

प्राध्यापक सह कार्यालय-सह भण्डारगार के लिए कक्ष -- .... (है) ....

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय .... (है) ....

पेयजल सुविधा .... (है) ....

मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई .... (है) ....

बाधा रहित पँहुच .... (है) ....

अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीड़ा खेल कूद उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता .... (है) ....

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1860 क 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक .... (10) .... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए एक संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

(अरविंद कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

पु0 स0/ मान्यता/ /2019-20 तद दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषितः-

1. शिक्षा निदेशक (बे.) उ.प्र. निशातगंज लखनऊ।
2. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. निशातगंज लखनऊ।
3. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
4. मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद मंडल इलाहाबाद
5. संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद कौशाम्बी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशांबी